संख्या-254/59-2-2014-146 (खा)/2014

प्रेषक,

के० एल० वर्मा
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

F.A

17.04.14
नि.उ. वि.अ.

34
17-4-14

13/4

सेवामें,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 15 अप्रैल, 2014

विषयः- खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद को वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम चार माह हेतु बोर्ड कार्मिकों के वेतन भत्ते आदि व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 17/खा0ग्रा0बो0/लेखा-बजट/2014-15 दिनांक-04 अप्रैल, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम-1960 (यथा संशोधित) 1983 की धारा-23 (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम चार माह के लिए लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्मिकों के वेतन भत्ते आदि के खर्चो को वहन करने हेतु संलग्न फॉट के अनुसार रू0 118766000.00 (रूपया ग्यारह करोड़ सत्तासी लाख छाछठ हजार मात्र) की धनराशि अनुदान के रूप में दिये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्तीय नियमों के अधीन व्यय की जायेगी। धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न कर मासिक आवश्यकता के अनुसार संलग्न फॉट के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया जायेगा। प्रतिमाह व्यय की गयी धनराशि का व्यय-विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में दो प्रतियों में शासन के खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 तथा सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा मानक मद में से आवश्यक अधिष्ठान मदों में आवंटित धनराशि के अनुरूप किया जायेगा। बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि वेतन मद में आवंटित धनराशि का उपयोग मात्र नियमित कार्मिकों के वेतन भुगतान में ही किया जायेगा। आहरण-वितरण अधिकारी, खादी बोर्ड के नियमित कार्मिकों के वेतन, मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते के लिए निर्धारित धनराशि का मासिक मदवार फॉट बनाकर प्रशासनिक विभाग/सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 को सूचित करेंगें व इससे विचलन की स्थिति में तुरन्त विशिष्ट कारणों सहित प्रशासनिक विभाग व सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत करायेंगें।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद एवं अन्य को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

6. आहरण-वितरण अधिकारी प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरतने विषयक शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

7. उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 की अनुदान संख्या-5 के लेखा शीर्षक ''2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनेत्तर- 105-खादी ग्रामोद्योग-03-खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)'' के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014 दिनांक-14 मार्च, 2014 में प्रदत्त निर्देश के कम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(के0 एल0 वर्मा)
अनु सचिव

संख्या-254 (1)/59-2-2014-146(खा)/2013 तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेषक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7. उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन) ई-फ्लोर छठा तल योजना भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(के0 एल0 वर्मा)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या–254/59–2–2014–146(खा)/2013 दिनांक 15 अप्रैल, 2014 का संलग्नक

.ेखा शीर्षक

2851–ग्राम तथा लघु उद्योग (आयोजनेत्तर)

105–खादी ग्रामोद्योग

03–खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद का सहायता

31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)

(धनराशि रू0 हजार में)

| क0 सं0 | मद सं0 | मद का नाम | वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रथम चार माह के व्ययों को वहन करने हेतु |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | वेतन | 50374.00 |
| 2 | 3 | मंहगाई भत्ता | 47942.00 |
| 3 | 6 | अन्य भत्ते | 4367.00 |
| | | उपयोग–1 | **102683.00** |
| 4 | 4 | यात्रा व्यय | 833.00 |
| 5 | 5 | स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 133.00 |
| 6 | 30 | अवकाश यात्रा व्यय | 33.00 |
| 7 | 8 | कार्यालय व्यय | 1933.00 |
| 8 | 9 | विद्युत देय | 900.00 |
| 9 | 10 | जलकर/जलप्रभार | 200.00 |
| 10 | 11 | लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई | 667.00 |
| 11 | 12 | कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 500.00 |
| 12 | 13 | टेलीफोन पर व्यय | 500.00 |
| 13 | 15 | गाड़ियों अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 3067.00 |
| 14 | 16 | व्यवसायिक औरं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 1166.00 |
| 15 | 17 | किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व | 1667.00 |
| 16 | 7 | मानदेय | 267.00 |
| 17 | 2 | मजदूरी | 1400.00 |
| 18 | 18 | अनुरक्षण | 733.00 |
| 19 | 29 | प्रकाशन | 100.00 |
| 20 | 41 | भोजन व्यय | 167.00 |
| 21 | 44 | प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 67.00 |
| 22 | 46 | कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 167.00 |
| 23 | 47 | कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 400.00 |
| 24 | 51 | वर्दी व्यय | 17.00 |
| 25 | 49 | चिकित्सा व्यय | 1166.00 |
| | | उप योग–2 | **16083.00** |
| | | कुल योग वेतन एवं भत्ते हेतु अनुदान | **118766.00** |

(रूपया ग्यारह करोड़ सत्तासी लाख छाछठ हजार मात्र )

(के0एल0 वर्मा)

अनु सचिव